

आदेश

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान द्वारा राज्य के पंचायतीराज संस्थाओं के उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर मतदान की तिथि दिनांक **30.06.2024** निश्चित की गई है। (कार्यक्रम की प्रति संलग्न है)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135(ख) के अनुसार मतदान के दिन किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो लोकसभा/विधानसभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश मंजूर किया जावेगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 (ख) के प्रावधान राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 22 के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के सम्बन्ध में भी लागू होते हैं। धारा 135 (ख) निम्न उद्धृत है:-

"135 ख- मतदान के दिन कर्मचारियों को सवैतन अवकाश की मंजूरी-

- (1) किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम अथवा अन्य किसी स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो लोकसभा या किसी राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जावेगा।
- (2) उपधारा (1) के अनुसार अवकाश मंजूर किए जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी और यदि ऐसा व्यक्ति इस आधार पर नियोजित किया जाता है कि उसे सामान्यतया किसी ऐसे दिन के लिए मजदूरी प्राप्त नहीं होगी तो इस बात के होते हुए भी, उसके ऐसे दिन के लिए वह मजदूरी संदत्त की जाएगी, जो उस दिन उसे अवकाश मंजूर न किए जाने की दशा में दी गई होती।
- (3) यदि कोई नियोजन उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, तो ऐसा नियोजन जुर्माने से, जो 500/- तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।
- (4) यह धारा किसी ऐसे निर्वाचक को लागू नहीं होगी जिसकी अनुपस्थिति से उस नियोजन के सम्बन्ध में जिसमें वह लगा हुआ है, कोई खतरा या सारवान हानि हो सकती है।"

सम्बन्धित पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, औद्योगिक उपक्रम या कारबार/व्यवसाय, दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के नियोजकों से उनके क्षेत्र में **'मतदान दिवस'** दिनांक **30.06.2024** के लिए उनके संस्थान में कार्यरत सभी कामगारों को, जिनमें आकस्मिक कामगार भी सम्मिलित है, सवैतनिक अवकाश प्रदान करने हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135(ख) की पालना अपेक्षित है, ताकि कामगारों द्वारा मतदान के अधिकार का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से उपयोग किया जा सके। अतः पालना सुनिश्चित करावें।

यदि कोई नियोजक उक्त प्रावधानों की अवहेलना करते हुए मतदान के दिन कर्मचारी को मताधिकार का उपयोग करने हेतु अवकाश नहीं देता है तो उसके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही हेतु सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी को तथ्यात्मक विवरण देते हुए अवगत कराया जा सकता है।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

(करण सिंह)

श्रम आयुक्त

राजस्थान, जयपुर

RajKaj Ref
7917567



Signature

Digitally signed by Karan Singh
Designation: Commissioner
Date: 2024.06.11 12:08:59 IST
Reason: Approved

3615

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक: 7(2)(6)/पंचा/रानिआ/2023/ 1852

दिनांक: 12.06.2024

प्रतिलिपि समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, (पंचायत), (कलक्टर) (दूदू को छोड़कर), राजस्थान को सूचनार्थ एवं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

★

(अंजू वर्मा)

सहायक सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1- मुख्य निर्वाचन अधिकारी, एवं सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान जयपुर को उनके पत्र क्रमांक एफ 7(2)(6)/पंचा/रानिआ/2023/1759 दिनांक 07.06.2024 के कम में।
- 2- निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम, कारखाना व बॉयलर्स निरीक्षण एवं ई.एस.आई., विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 3- निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, श्रम, कारखाना व बॉयलर्स निरीक्षण एवं ई.एस.आई., विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 4- निजी सचिव, श्रम आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
- 5- जिला कलेक्टर (समस्त), राजस्थान।
- 6- उप शासन सचिव, श्रम, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 7- संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त (समस्त) एवं श्रम कल्याण अधिकारी (समस्त) को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे क्षेत्र के सम्बन्धित संस्थानों के नियोजकों को उनके संगठनों तथा प्रेस विज्ञप्ति आदि साधनों के माध्यम से अवगत करावें। श्रमिकों के संगठनों को भी अवगत करावें तथा नियोजकों द्वारा अनुपालना सुनिश्चित करावें।
- 8- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय को प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मिडिया में समुचित प्रचार-प्रसार कराने हेतु प्रेषित है।
- 9- गार्ड पत्रावली।

श्रम आयुक्त
राजस्थान, जयपुर

RajKaj Ref
7917567

Signature valid

Digitally signed by Karan Singh
Designation: Commissioner
Date: 2024.06.11 12:08:59 IST
Reason: Approved